संख्या- 132/2024/।/814558/2024/71-3002/8/2022-03

प्रेषक,

चन्द्र शेखर मिश्र,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,
देवरिया।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनॉक 05 दिसम्बर, 2024**

विषय-: वित्तीय वर्ष 2024-25 में महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में 30 बेडेड ट्रामा सेन्टर, 20 बेडेड बर्न वार्ड एवं 20 बेडेड टाक्सीकोलाजी वार्ड (एल-1 कैटगरी) युक्त भवन के निर्माण हेतु द्वितीय किस्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-मे0का0देव0/निर्माण/ट्रा.से.देव./2024-25/1469, दिनांक 06.11.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में 30 बेडेड ट्रामा सेन्टर, 20 बेडेड बर्न वार्ड एवं 20 बेडेड टाक्सीकोलाजी वार्ड (L-1 CATEGORY) युक्त भवन के निर्माण कार्य के उपयोगिता प्रमाण पत्र धनराशि रू0 1234.31 लाख का प्रेषित करते हुए परियोजना की स्वीकृति लागत के सापेक्ष अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में 30 बेडेड ट्रामा सेन्टर, 20 बेडेड बर्न वार्ड एवं 20 बेडेड टाक्सीकोलाजी वार्ड (L-1 CATEGORY) युक्त भवन के निर्माण हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 2468.63 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त की धनराशि रू0 1234.3 लाख (शासनादेश संख्या-28/2023/।/281928/2023-71-3002/8/2022-03, दिनॉक 28.02.2023 द्वारा धनराशि रू0 617.16 लाख एवं शासनादेश संख्या-76/2024/।/678828/2024-71-3002/8/2022-03, दिनॉक 28.06.2024 द्वारा धनराशि रू0 617.15 लाख) अवमुक्त की जा चुकी है।

3- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कि महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में 30 बेडेड ट्रामा सेन्टर, 20 बेडेड बर्न वार्ड एवं 20 बेडेड टाक्सीकोलाजी वार्ड (L-1 CATEGORY) युक्त भवन के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत पूॅजीलेखा पक्ष में "लेखाशीर्षक-4210-03-105-8906" के मानक मद-24-वृहत निर्माण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि रू0 1000.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 382.85 लाख (रू0 तीन करोड बयासी लाख पच्चासी हजार मात्र) द्वितीय किस्त के रूप में निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियॉ तथा प्रायोजना को निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत पूर्ण कराये जाने की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।
3. प्रधानाचार्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। प्रस्तावित कार्य की दुरावृत्ति न हो रही हो।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्हीं अन्य कार्यों/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
5. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते/डाकघर में नहीं रखा जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा भौतिक प्रगति का विवरण समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
6. शासनादेश संख्या-28/2023/।/281928/2023-71-3002/8/2022-03, दिनॉक 28.02.2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये रू0 382.85 लाख (सी हजार मात्रतीन करोड बयासी लाख पच्चा 0रू) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031058906 मेडिकल कालेज, देवरिया मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231 /2024, दिनांक 04.03.2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत् प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(चन्द्र शेखर मिश्र)
उप सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण्, उ0प्र0, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
6. कोषाधिकारी, देवरिया।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(चन्द्र शेखर मिश्र)
उप सचिव।